यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण), - 04 राज्य कर, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण), - 04 राज्य कर, देहरादून के माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव, श्री अंशुमन अग्रवाल सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं आशीष पाण्डेय, व.ले.प. द्वारा दिनांक 20.09.2020 से 30.09.2020 तक श्री राजकुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1 परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री डी.के. श्रीवास्तव एवं श्री सिराज हुसैन सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों तथा श्री आनंद कुमार पाण्डेय, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 13.08.2020 से 21.01.2020 तक श्री के.एल. भट्ट, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण मे संपादित की गयी थी। जिसमे राजस्व हेतु माह 04/2018 से 03/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी एवं व्यय हेतु माह ----- से ---- तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2019 से 03/2020 तक तथा व्यय हेतु माह --- से --- तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः -**

(ii) (अ) **राजस्व विवरण**

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	**अर्जित राजस्व (₹ लाख मे)**
2017-18	11.10
2018-19	13.71
2019-20	700.39

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	**Plan**		**Non plan**		**अधिक्य (+)**	**बचत (-)**
	आवंटन	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
शून्य						

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष ₹	प्राप्त ₹	व्यय अधिक्य (+)₹	बचत (-)₹
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन राजस्व प्राप्ति के आधार पर इकाई 'A'श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, वित्त **>** आयुक्त राज्य कर**>** अपर आयुक्त राज्य कर**>** संयुक्त आयुक्त राज्य कर**>** उपायुक्त राज्य कर **>**सहायक आयुक्त राज्य कर**>** राज्य कर अधिकारी,

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण), - 1 राज्य कर, विकासनगर** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण), - 1 राज्य कर, विकासनगर** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-**

राजस्व: 08/2019 विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: ------- (व्यय) को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) **योजना का चयन :-** कोई नहीं।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व का लेखा-परीक्षा

भाग-II (अ)

प्रस्तर 1 : कम दर से कर आरोपित किए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 17.95 लाख की राजस्व क्षति।

प्रस्तर – 02 समाधान राशि का कम आरोपण एवं अधिक वापसी ₹ 7.65 लाख।

प्रस्तर – 03 आई टी सी रिवर्स न किया जाना ₹ 1.94 लाख तथा अर्थदण्ड ₹ 5.82 लाख का अनारोपण

भाग-II (ब)

प्रस्तर– : 01 कम बिक्री प्रदर्शित किए जाने के कारण कर का न्यूनारोपण ₹ 1.28 लाख।

प्रस्तर –02 कर का अनारोपण र 1.42 लाख

प्रस्तर :03 उपकर आरोपित न किए जाने के कारण राजस्व क्षति ₹ 1.28 लाख।

व्यय की लेखा-परीक्षा

भाग-II (अ)

शून्य

भाग-II (ब)

शून्य

<u>भाग - II (अ)</u>

प्रस्तर 1 : कम दर से कर आरोपित किए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 17.95 लाख की राजस्व क्षति।

उत्तराखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 4(2)(ख)(ii)(ई) के अनुसार किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल के संबंध में कर देयता 13.5% निर्धारित की गई है जिसे दिनांक 04.10.2016 से 14.5% कर दिया गया था। अनुसूची-IIIII(ख) के क्रम संख्या 78 के अनुसार अयस्क धातुए एवं खनिज, जिसमे गौड़ खनिज सम्मिलित नही है, पर कर देयता 5% की दर से निर्धारित की गई है|

उत्तराखंड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 844/vii-1/2015/68-ख/2015, देहरादून दिनांक 31.07.2015 के अनुसार खान एवं खनिज (विकास एवं विनियम) अधिनियम 2015 को अधिनियमित किया गया है। वर्तमान मे खान मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 423(अ) दिनांक 10.02.2015 द्वारा 31 खनिजो जो कि मुख्य खनिज की श्रेणी के अंतर्गत थे, को गौड़ खनिज की श्रेणी में घोषित कर दिया गया है। उक्त तिथि से जिप्सम पाउडर (P O P) की विक्री पर कर की दर 13.5% निर्धारित की गयी थी।

कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण) खंड-4, राज्य कर, देहरादून के कर निर्धारण पत्रवालियों की नमूना लेखापरीक्षा जांच मे पाया गया कि निम्नलिखित व्यापारियों द्वारा की गयी बिक्री पर कम दर से कर आरोपित किया गया था।

क्रम संख्या	व्यापारी का नाम/ टिन नंबर/ कर निर्धारण वर्ष	वस्तु का नाम	विक्रय की धनराशि (₹)	आरोपित किया गया कर (₹)	आरोपणीय कर (₹)	कम आरोपित किया गया कर (₹)	देय ब्याज़ (₹)
1-	श्री कमल प्लास्टर, ईदगाह, देहरादून टिन:05000898245 (2016-17)	जिप्सम पाउडर (P O P)	6385974	319298	905927 (2003840*13.5%+ 4382134*14.5%)	586629	351977
2	श्री मुरारी प्लास्टर ईदगाह प्रकाश नगर ,देहरादून टिन: 05014779430,(2016-17)	जिप्सम पाउडर (P O P)	1196146	59807	166372 (706926*13.5% + 489220*14.5%)	106565	63939
3	श्री आदि एंटर प्राईजेज़ देहारादून , टिन 05016527758 (2016-17)	प्लास्टिक गुड्स	3681956	184098	519761 (1412175*13.5%+2269781*14.5%)	335663	201398
4	सर्वश्री चौधरी पी.वी.सी. इनटिरियर, देहरादून, टिन 05014263778 (2016-17)	पी वी सी शीट	1030131	51507	144560 (480836*13.5%+549295*14.5%)	93053	55832
					योग	**1121910**	**673146**

इस प्रकार उपरोक्त व्यापारियों पर कुल कर र 1121910 आरोपणीय है। चूंकि यह व्यापारी का स्वीकृत कर है इस पर 01.10.2016 से लेखापरीक्षा माह सितम्बर 2020 तक ₹673146 (1121910 *48*1.25%)ब्याज भी देय है। इसके अतिरिक्त जमा करने की तिथि तक भी ब्याज़ देय है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने जाचोपरांत कार्यवाही का आश्वशन दिया गया।

अतः कम दर से कर आरोपित किए जाने के परिणामस्वरूप रु 17.95 लाख (₹ 11.22 लाख+6.73 लाख) की राजस्व क्षति का प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग दो (अ)

प्रस्तर – 02 समाधान राशि का कम आरोपण एवं अधिक वापसी ₹ 7.65 लाख।

उत्तराखंड शासन के पत्रांक 675/2015/14(120)/XXVII(08)/06 दिनांक 10.08.2015 के एवं 243/2016/14(120)/XXVII(08)/06 दिनांक 21.06.2016 द्वारा अविभाजित सिविल सकर्म संविदा एवं अविभाजित विद्युत सकर्म संविदा को निष्पादित करने वाले पंजीकृत सिविल संविदाकारो एवं पंजीकृत विद्युत संविदाकारो हेतु देय कर के बदले समाधान राशि निश्चित किए जाने का निर्णय लिया गया है। जिन मामलो मे सिविल संविदाकार द्वारा आयातित माल का प्रयोग किया गया है उसके द्वारा सम्पन्न संविदा की सकल धनराशि के 5 प्रतिशत से अधिक आयातित माल का प्रयोग किया गया हो, समाधान राशि की गणना उक्तानुसार आगणित राशि के 6 प्रतिशत की दर से की जाएगी।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क0नि0)-खंड-04 राज्य कर, देहरादून के अभिलेखों की नमूना जांच मे पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री एस एस कंस्ट्रक्सन टिन सं0 05013651417 कर निर्धारण वर्ष 2015-16 मे संविदी विभाग से कुल ₹ 1,68,49,707 का भुगतान प्राप्त होना घोषित किया गया था। संविदाकार/व्यापारी द्वारा ₹ 24,80,068 का माल का एव र 20,00,000 की एसेट की आयात किया गया था। चूंकि व्यापारी द्वारा 5 प्रतिशत से अधिक का आयात किया गया था। अतः कुल प्राप्त भुगतान पर 6 प्रतिशत की दर से कुल ₹10,10,982 (₹ 16849707 x 6 प्रतिशत) की दर कर आरोपणीय था। जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 4 प्रतिशत की दर ₹ 6,73,988 का कर आरोपित किया गया था। इस प्रकार ₹ 3,36,994 (₹ 10,10,982 – ₹ 6,73,988) का कम कर आरोपित किया गया है। इस पर नियमानुसार ब्याज भी देय था। संविदाकार की बैलेन्स शीट की प्रति उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः ₹ 20,00,0000 लाख की क्रय की गयी एसेट को सत्यापित नहीं किया जा सका।

2- सर्वश्री मोहन लाल गुप्ता टिन सं0 05011262404 कर निर्धारण वर्ष 2016-17 मे संविदी विभाग से कुल ₹1,68,75,383 का भुगतान प्राप्त होना घोषित किया गया था। संविदाकार/व्यापारी द्वारा ₹ 18,56,725 का माल का आयात किया गया था। चूंकि व्यापारी द्वारा 5 प्रतिशत से अधिक के माल का आयात किया गया था। अतः कुल प्राप्त भुगतान पर 6 प्रतिशत की दर से कुल ₹ 10,12,523 (₹ 16875383 x 6 प्रतिशत) का कर आरोपणीय था। जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 4 प्रतिशत की दर र 6,34,497 एवं 13.5 प्रतिशत की दर से ₹ 1,64,098 कर कुल ₹ 7,98,595 का आरोपित किया गया था। इस प्रकार र 2,13,928 (₹ 10,12,523 – ₹ 7,98,595) का कम कर आरोपित किया गया था। व्यापारी द्वारा ₹ 10,41,341 का टी डी एस कटौती का प्रमाण पत्र दिया गया है। अतः व्यापारी को कुल ₹ 28,818 (₹ 1041341-₹ 1012523) की वापसी होगी जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ₹ 2,13,928 (₹ 2,42,746 – ₹ 28,818) की अधिक वापसी की गयी था।

उक्त को इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा जाँचोपरांत कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया गया।

अत: समाधान राशि का कम आरोपण एवं अधिक वापसी ₹ 7.65 (₹ 3.37+2.14+2.14) लाख का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (अ)

प्रस्तर – 03 आई टी सी रिवर्स न किया जाना ₹ 1.94 लाख तथा अर्थदण्ड ₹ 5.82 लाख का अनारोपण।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 6 (8) (K) के अनुसार सिविल संविदाकार को आई टी सी देय नहीं है। तथा धारा 58(1)(xi) के अनुसार दावाकृत आई.टी.सी का तीन गुणा अर्थदण्ड भी आरोपणीय होगा।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.) खंड-04, राज्य कर, देहरादून के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया कि व्यापारी सर्व श्री शिव कंस्ट्रक्शन देहरादून, टिन सं0 05000980598 के द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2015-16 मे कुल खरीद ₹ 2174686 की घोषित किया गया था, जिस पर ₹ 1,93,788 की आई0 टी0 सी0 का लाभ लिया गया था। जिसे कर निर्धारण के समय स्वीकार किया गया था। व्यापारी संविदाकार है अतः व्यापारी को आई टी सी का लाभ देय नहीं था। इस प्रकार ₹ 1,93,788 की आई टी सी रिवर्स योग्य है तथा नियमानुसार ₹ 5.82 लाख का अर्थदण्ड आरोपणीय था।

उक्त को इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा जाँचोपरांत कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया गया।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग 2 'ब'

प्रस्तर– : 01 कम बिक्री प्रदर्शित किए जाने के कारण कर का न्यूनारोपण ₹ 1.28 लाख।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.) खंड-04, राज्य कर, देहरादून के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया कि निम्न व्यापारियों द्वारा नीचे दी गयी तालिका के अनुसार आयातित टिंबर की बिक्री कम प्रदर्शित की गयी थी :

व्यापारी का नाम		
सर्वश्री अग्रवाल एंड कंपनी, सहारनपुर रोड, देहरादून। टिन संख्या 05000457089 वर्ष 2016-17	प्रारम्भिक रहतिया	₹ 1448310
	आयातित खरीद	₹ 3098337
	बिक्री	₹ 2098856
	अंतिम शेष	₹ 1596302
	योग	₹ 3695158
	कम प्रदर्शित बिक्री	₹ 851489
कुल आरोपणीय कर की राशि @15%	(₹8,51,489 @15%)	₹ 1,27,723/-

यदि उपरोक्त व्यापारी को लाभांश रहित भी मान लिया जाय तब भी ₹851489/- की कम बिक्री प्रदर्शित की गयी। इस प्रकार कम प्रदर्शित बिक्री ₹851489/- पर बिक्री के अनुक्रम में 15% की दर से ₹1,27,723/- कर आरोपणीय था, जो विभाग द्वारा आरोपित नहीं किया गया। इस धनराशि पर जमा करने की तिथि तक नियमानुसार ब्याज भी देय है।

इस विषय में इंगित करने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि जाँचोपरांत कार्यवाही के पश्चात अवगत कराया जाएगा।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर –02 कर का अनारोपण ₹ 1.42 लाख

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 3 की उपधारा 1 के अनुसार किसी व्योहारी अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर किए गए प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत कर आरोपित किया जाएगा। उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 34(4) के अनुसार यदि स्वीकृत कर समय से जमा नही किया जाता है। तो ऐसी धनराशि पर जमा करने के दिनांक तक 15 वार्षिक ब्याज देय होगा।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.) खंड-04, राज्य कर, देहरादून के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया कि व्यापारी सर्व श्री वैभव होटेल्स एंड डेवलपर्स देहरादून टिन 05006277477 कर निर्धारण वर्ष 2016-17 मे कुल खरीद ₹ 47,59,247 एवं बिक्री ₹ 1,14,78,879 की घोषित किया गया है व्यापारी द्वारा संगत वर्ष मे आईसक्रीम आदि ₹ 14,07,609 की खरीद की गयी है एवं इस पर 13.5% एवं 14.5% की दर से ₹ 1,98,814 की आईटीसी भी क्लेम की गयी है। आइसक्रीम एवं कोल्ड ड्रिंक की बिक्री ₹ 4,28,848 की घोषित किया गया है जिस पर कर निर्धारण भी किया गया है। इस प्रकार ₹ 9,78,761 की खरीद पर कर आरोपित नहीं किया है न ही इसे अंतिम रहतिया मे लिया गया है। अतः ₹ 9,78,761 पर 14.5 प्रतिशत की दर कर ₹ 1,41,920 (₹ 9,78,761 x 14.5 %) और आरोपणीय है एवं इस पर नियमानुसार ब्याज भी देय है ।

उक्त को इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा जाँचोपरांत कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया गया।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

<u>भाग - ॥ ब</u>

प्रस्तर :03 उपकर आरोपित न किए जाने के कारण राजस्व क्षति ₹ 1.28 लाख।

उत्तराखंड उपकर अधिनियम 2015 की धारा-3 की उपधारा (1) का खंड (ख) के अनुसार अनुसूची -II में सभी प्रकार की शराब के विक्रय पर उपभोक्ता को विक्रय के बिन्दु पर माल के मूल्य का दो प्रतिशत उपकर देय है।

कार्यालय सहायक आयुक्त, (क॰नि॰), खंड-4 राज्य कर, देहरादून के अभिलेखो की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री होटल दून केस्टल पटेल नगर देहरादून टिन संख्या 05008091862 द्वारा वर्ष 2017-18 में टैक्सपेड लिकर की बिक्री ₹ 44,30,644 में की गयी थी। चूकि यह उपभोक्ता के विक्रय के बिन्दु पर माल अंतरित किया गया है। जिस पर ₹ 88,613 (4430644*2%) उपकर आरोपणीय है। जो कि आरोपित नहीं किया गया है तथा इस पर 01.10.2017 से लेखापरीक्षा माह सितम्बर 2020 तक ₹ 39876 (88613*36*1.25%)ब्याज भी देय है|

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने जाचोंउपरांत कार्यवाही की जाएगी का आश्वासन दिया है।

अतः उपकर आरोपित न किए जाने के कारण राजस्व क्षति ₹128489/ (₹88613+₹39876) का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संग्यान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-III 'ब' प्रस्तर संख्या	नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
RS/CT-55/2017-18	-	1,2,3	-
RS/CT-125/2019-20	1	1,2	-

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण), - 04 राज्य कर, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:
2. **सतत् अनियमितताएः**

   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्रीमती शिखा थपलियाल,	सहायक आयुक्त
(ii)	श्री एस.एस. यादव,	सहायक आयुक्त

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-IV